अध्याय-4

04

संस्थाओं का कामकाज

सीखने का प्रतिफल

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की कार्यप्रणाली एवं अधिकार क्षेत्र को अच्छी तरह से विद्यार्थी समझ सकेंगे।

लोकतंत्र का अर्थ-एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन किया जाता है, लोकतंत्र कहलाता है।

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए कई राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया गया है। हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया है। शक्ति के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत के अनुसार समस्त लोकतांत्रिक शक्तियों को तीन भागों में विभाजित किया गया है।

लोकतांत्रिक शक्ति का विभाजन

विधायिका | कार्यपालिका | न्यायपालिका

विधायिका-भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विधायिका का गठन दो स्तर पर होता है।

विधायिका का गठन दो स्तर पर

राष्ट्रीय स्तर पर-संसद | राज्य स्तर पर-विधानमंडल

© JCERT not to be republished

भारत में संसद का गठन-भारत में संसद का गठन राष्ट्रपति राज्य सभा एवं लोक सभा को मिलाकर किया जाता है।

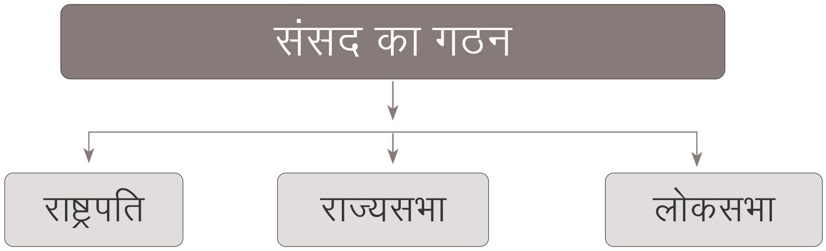

विधान मंडल का गठन-भारतीय संविधान के अनुसार विधान मंडल का गठन दो प्रकार से किया जाता है। भारत के 6 राज्यों में विधान मंडल का गठन राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा को मिला कर किया जाता है। शेष सभी राज्यों में विधान मंडल का गठन राज्यपाल और विधानसभा को मिलाकर किया जाता है। अर्थात दो सदन वाला विधानमंडल और एक सदन वाला विधानमंडल।

नोट - बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान मंडल का गठन राज्यपाल, विधान परिषद और विधान सभा को मिलाकर किया जाता है।

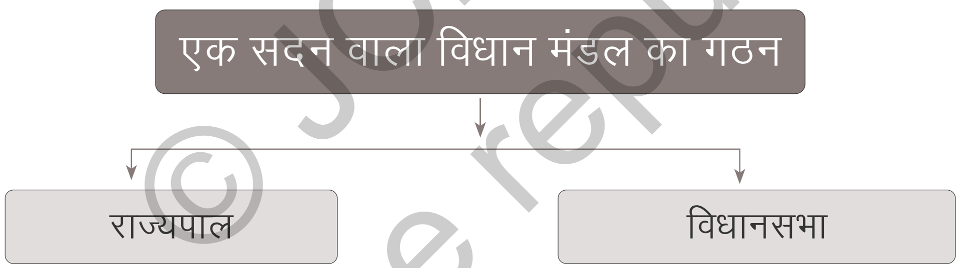

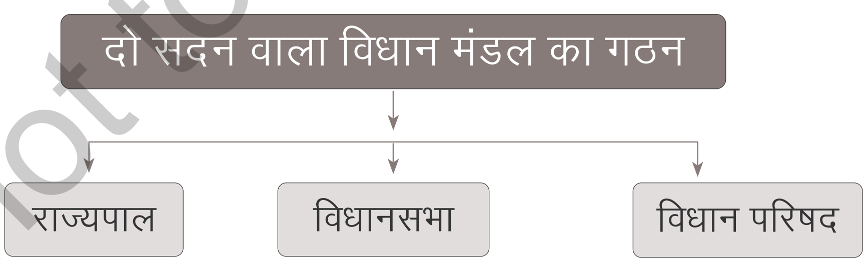

© JCERT not to be republished

लोकतंत्र में निर्णय करने वाले

- राष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री
- कैबिनेट मंत्री
- समस्त सरकारी नौकरशाह कानूनों को लागू करने में मदद करते हैं।
- सरकार तथा जनता के बीच उत्पन्न विवाद को न्यायालय द्वारा हल किया जाता है।
- राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति
- राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह से नीतिगत फैसले लेता है।
- केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों के सलाह के अनुसार ही नीतिगत फैसले प्रधानमंत्री लेता है।
- राज्यपाल
- मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद
- कोई भी नीतिगत फैसला एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि सभी लोग आपस में विचार-विमर्श करके ही ले सकते हैं।
- राजपाल मुख्यमंत्री के सलाह से ही राज्य के मामले में सभी नीतिगत फैसले लेते हैं।

© JCERT not to be republished

संसद

परिचय-भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। भारतीय संविधान में कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है।

संसद की आवश्यकता क्यों?

- नए कानून बनाने के लिए
- वर्तमान कानून को रद्द करने के लिए
- मौजूदा कानून में सुधार लाने के लिए
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए
- राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए
- आर्थिक और वैदेशिक नीति बनाने के लिए
- सरकारी धन पर नियंत्रण रखने के लिए
- संविधान में संशोधन करने के लिए
- सरकार चलाने के लिए
- संसद से अनुमति लेकर ही सरकारी धन खर्च किया जा सकता है।

© JCERT not to be republished

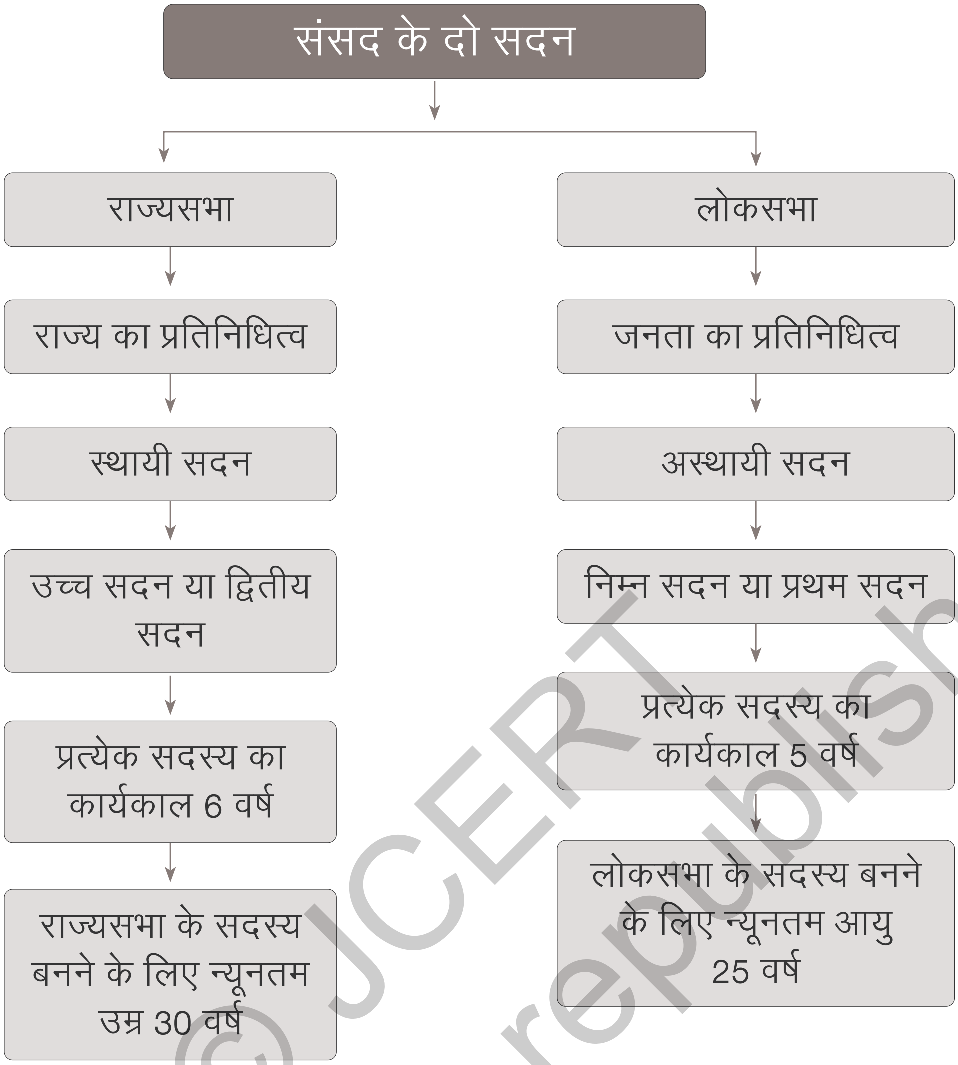

© JCERT not to be republished

राष्ट्रपति

परिचय-भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन है। राष्ट्रपति भारत के कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति संसद का अनिवार्य और अभिन्न अंग होता है।

- राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है।
- राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता-वह भारत का नागरिक हो और कम से कम 35 वर्ष का हो चुका हो तथा कोई लाभ के पद पर न हो। वह पागल, दिवालिया और न्यायालय द्वारा घोषित अपराधी न हो।
- चुनाव-लोक सभा ,राज्य सभा तथा विधान सभा इन तीनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है।
- शपथ-उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है।

- वेतन-भारत की संचित निधि से प्रतिमाह ₹5 लाख तथा अन्य सुविधाएं दी जाती हैं।
- महाभियोग- अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग का प्रस्ताव संसद के द्वारा लाकर और उसे लोकसभा और राज्यसभा द्वारा अलग-अलग दो तिहाई बहुमत से पारित कर के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है।
- राष्ट्रपति के अधिकार या कार्य- आपातकालीन अधिकार- राष्ट्रपति को तीन आपातकालीन अधिकार प्राप्त है।

  राष्ट्रीय आपातकाल-अनुच्छेद 352

  वित्तीय आपातकाल-अनुच्छेद 360

  राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार-अनुच्छेद 356
- कार्यपालिका संबंधी अधिकार- प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को नियुक्त करने और शपथ दिलाने का अधिकार।
- विधायिका संबंधी अधिकार- कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही कानून बन सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करके कानून का निर्माण कर सकता है।
- अखिल भारतीय स्तर के पदाधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार। जैसे महान्यायवादी, वित्त आयोग के अध्यक्ष, चुनाव आयुक्त, नियंत्रक महालेखा परीक्षक इत्यादि।

कार्यपालिका

परिचय-संसद या विधान मंडल द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने का अधिकार कार्यपालिका को दिया गया है। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, समस्त नौकरशाह इत्यादि।

कार्यपालिका के प्रकार

- राजनीतिक कार्यपालिका- जनता द्वारा खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है जैसे विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इत्यादि।
- गैर राजनीतिक कार्यपालिका- लंबी अवधि के लिए नियुक्त किए जाने वाले सरकारी कर्मचारी और नौकरशाहों को स्थायी कार्यपालिका या गैर राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है।

  नोट- सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। सरकार के विभिन्न स्तर पर कई ऐसे अधिकारी जनहित में कार्य करते हैं जो कार्यपालिका के अंग माने जाते हैं।

न्यायपालिका

न्यायपालिका

- यह एक न्यायिक संस्था है जिसके पास न्याय करने, कानूनी विवादों को हल करने तथा कानून की समीक्षा एवं व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है। देश के सभी अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है।

not to be republished © JCERT

देश में न्यायपालिका का स्तर

- राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम न्यायालय
- राज्य के स्तर पर उच्च न्यायालय
- जिला के स्तर पर जिला सत्र न्यायालय

उच्चतम न्यायालय

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय का वर्णन है। यह देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। इसका मुख्य पीठ नई दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय को दीवानी और फौजदारी मामलों में नीचे के न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है।

न्यायाधीशों का कार्यकाल

- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष के उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, परंतु अपनी इच्छा से राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपकर अपने पद से कार्यकाल से पहले मुक्त हो सकते हैं।

नियुक्ति

- उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।

शपथ

- उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग

- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा द्वारा लाकर और दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कराकर तथा राष्ट्रपति की सहमति लेकर पद से हटाया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय के कार्य एवं अधिकार

- नीचे के न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार, मौलिक अधिकार की रक्षा करने एवं न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या

- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या 33 है। 32 अन्य न्यायाधीश एवं एक मुख्य न्यायाधीश।

© JCERT not to be republished

राज्यसभा की शक्ति

- राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है।
- संविधान संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को पारित करताहै।
- उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव पारित कर सकता है।
- राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं।
- धन विधेयक को अपने पास 14 दिन तक रोककर राज्यसभा रख सकता है। धन विधेयक में संशोधन करने की सिफारिश लोकसभा से राज्यसभा कर सकता है।

लोकसभा की शक्ति

- संघ सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव ला सकता है।
- धन विधेयक और सामान्य विधायकों को प्रस्तुत एवं पारित करता है।
- संविधान में संशोधन का प्रस्ताव पारित कर सकता है।
- आपातकाल की घोषणा को स्वीकृत करता है।
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा सदस्य भाग लेते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव पारित कर सकता है।
- पूरक प्रश्न पूछ कर, प्रश्न पूछ कर, अविश्वास प्रस्ताव लाकर कार्यपालिका को लोकसभा नियंत्रित करती हैं ।

© JCERT not to be republished

प्रधानमंत्री

परिचय - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 में प्रधानमंत्री के पद का वर्णन है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा।

- भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है परंतु वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति के समस्त अधिकार एवं शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री परिषद के सदस्य मिलकर करते हैं।
- योग्यता- वह भारत का नागरिक हो और कम से कम 25 वर्ष का हो चुका हो। पागल, दिवालिया और न्यायालय द्वारा घोषित अपराधी ना हो।
- नियुक्ति- लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या बहुमत प्राप्त गठबंधन दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- शपथ- प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है।
- कार्यकाल- प्रधानमंत्री की नियुक्ति सामान्यता 5 वर्ष के लिए होती है परंतु वह तभी तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसके दल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो।
- त्यागपत्र-प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप कर अपने पद से मुक्त हो सकता है।
- यदि कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है परंतु लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्य उसे अपना नेता चुन लेते हैं तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर देता है।
- ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर शपथ लेने के 6 महीना के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। अन्यथा उन्हें अपना पद छोड़ देना पड़ता है।
- अधिकार या शक्ति-प्रधानमंत्री के सलाह से ही राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है या बर्खास्त करता है। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करने या विभागों में फेरबदल करने का अधिकार प्रधानमंत्री को है।

स्मरणीय तथ्य

लोकतंत्र में शक्ति का विभाजन तीन भागों में किया गया है-

1. विधायिका या व्यवस्थापिका शक्ति
2. कार्यपालिका शक्ति
3. न्यायपालिका शक्ति

भारतीय संविधान के अनुसार विधायिका का गठन दो स्तर पर होता है-

1. राष्ट्रीय स्तर पर संसद का गठन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर संसद का गठन किया जाएगा।
    - भारत में राज्यसभा सीटों की संख्या 245 है।

© JCERT not to be republished

- केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से राज्यसभा के 3 सदस्य चुने जाते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
- 230 सदस्य राज्यों के विधानसभा के विधायकों द्वारा चुने जाते हैं।
- राज्यसभा के सबसे अधिक सदस्य उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य चुने जाते हैं।
- झारखंड से राज्यसभा के 6 सदस्य चुने जाते हैं।

2. राज्य स्तर पर विधानमंडल का गठन किया जाता है।

- भारत में विधान मंडल का गठन दो प्रकार से होता है-

विधानमंडल=राज्यपाल + विधानसभा

विधानमंडल=राज्यपाल+विधान परिषद + विधानसभा

नोट- भारत के 6 राज्यों में विधानमंडल दो सदन वाला है तथा बाकी भारत के सभी राज्यों में एक सदन वाला विधान मंडल का गठन किया गया है। बिहार महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विधानमंडल दो सदन वाला है।

- झारखंड में एक सदन वाला विधानसभा का गठन किया गया है।
- झारखंड में विधान सभा के सीटों की कुल संख्या 81 है।
- राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए।
- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। यह 5 वर्ष का कार्यकाल राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों में सेवा देकर पूरा कर सकता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है।
- संविधान में संशोधन का अधिकार केवल संसद को ही दिया गया है।
- राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए।
- केंद्रीय मंत्रिपरिषद को भंग करने और गठन करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है।
- प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए।
- प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- प्रधानमंत्री के सलाह से ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों के शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है।
- प्रधानमंत्री या मंत्री के पद पर किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है परंतु प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के 6 महीना के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना आवश्यक होता है। लोकसभा या राज्यसभा के 6 महीना के अंदर सदस्य नहीं बनने पर प्रधानमंत्री या अन्य मंत्रियों को अपने पद से त्यागपत्र दे देना पड़ता है।

© JCERT not to be republished

- राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त करता है, जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है।
- यदि किसी भी दल को लोकसभा के आम चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग करते हुए किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करके और निर्धारित समय सीमा के अंदर बहुमत साबित करने के लिए कर सकता है।
- केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होता है।
- लोकसभा को गठन करने और भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त।
- लोकसभा को प्रथम सदन किया निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा स्थाई सदन है।
- लोकसभा का गठन 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है परंतु 5 वर्ष से पहले भी प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है।
- लोकसभा के कार्यवाही का संचालन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।
- लोकसभा का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से किया जाता है।
- स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे।
- भारत में प्रथम लोकसभा का चुनाव 1951-52 में किया गया था।
- वर्तमान में भारत में लोकसभा सीटों की संख्या 543 है।
- झारखंड से लोकसभा के 14 सदस्य चुने जाते हैं। इनमें से पांच सदस्य अनुसूचित जनजाति से और एक सदस्य अनुसूचित जाति से चुने जाते हैं तथा आठ सदस्य जन सामान्य वर्ग से चुने जाते हैं।
- राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है फिर भी राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है।
- राष्ट्रपति को प्रति माह ₹5 लाख वेतन तथा कई अन्य सुविधाएं मिलती है।

© JCERT not to be republished

बहुविकल्पी प्रश्न

1. भारत में शक्ति का विभाजन कितने भागों में किया गया है?

   a. दो भाग   b. 3 भाग   c. 4 भाग   d. 5 भाग

2. भारत में संसद का गठन किया जाता है?

   a. लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर।

   b. लोकसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर।

   c. लोकसभा+ राज्यसभा + राष्ट्रपति ।

   d. इनमें से कोई नहीं।

3. राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए?

   a. 30 वर्ष   b. 35 वर्ष   c. 25 वर्ष   d. 40 वर्ष

4. प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?

   a. राष्ट्रपति

   b. उपराष्ट्रपति

   c. लोकसभा अध्यक्ष

   d. इनमें से कोई नहीं।

5. झारखंड में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है?

   a. 80   b. 81   c. 82   d. 84

6. भारत में संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे दिया गया है?

   a. राष्ट्रपति को

   b. प्रधानमंत्री को

   c. संसद को

   d. सांसद को

7. राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है?

   a. 10   b. 12   c. 14   d. 15

8. केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते है?

   a. 2   b. 3   c. 4   d. 5

© JCERT not to be republished